


11-2018 पञ्जाबनी चेरा हुई। प्रकरणा में प्रलियादी सहया  
 1 से 4 के अधिकांश द्वारा दिनांक 15-9-2016 को  
 प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत चारा आदेश 7,  
 नियम 11 व चारा 151 जां०दी पर बहस सुनी गई।  
 बकील वादी सं। से 9 द्वारा बाद में ग्राम में जा  
 फा इलाका में जा, जहलील गांवल में नवीन आराजी  
 नम्बर 2302 रकबा 0। बीघा 8 बिस्वा भूमि स्थित  
 है। जो वर्तमान राजस्व देकाडे में प्रलियादी सहया  
 1 से 4 के नाम रज है। पञ्जाबनी में उपलब्ध दस्तावेज  
 अनुसार खालेदारी अधिकार चाहा गया है।

इस संकथ में वादी एवं प्रलियादी की बहस  
 सुनी गयी। वादी अधिकांश द्वारा बहस में  
 बलाया गया कि प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार माननीय  
 न्यायालय को है। तथा वर्तमान भूमि पर कब्जा  
 अनुसार प्रलियादी गण वर्ष 1973 के एग्रीमेन्ट  
 अनुसार वादी गण का कब्जा लगातार चला  
 आ रहा है। अतः खालेदारी अधिकार देलाया  
 जावे।


बहस दौरान प्रलियादी अधिकांश द्वारा  
 बलाया गया कि वादी द्वारा प्रस्तुत अनुबंध  
 पत्र अम-राजिस्टर्ड होकर विक्रय पत्र अमुद्रित  
 प्राम्प पर हुंकर खालेदारी अधिकार के शौर्य में है।  
 मही है। <sup>प्रकरणा न्यायालय में काम हुंकर लावल</sup>  
 इस प्रकार राजिस्टर्ड दस्तावेज न ही  
 से वादी गण खालेदारी प्राप्त करने का अधिकारी  
 न हुंकर, खालेदार कारतकार घोषित नही  
 किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना  
 उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना

पत्र आदेश-7 नियम-11 व चारा 151 जां०दी  
 स्वीकार किया जाता है। एवम् प्रलियादी अधिकांश  
 का प्रार्थना पत्र आदेश-7 नियम 11 व चारा  
 151 जां०दी स्वीकार होने से वादी का वाद

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 सांख्यिक पिला भीलवाड़ा

एक-उत्तरीय विद्या आता है। लड़कियां  
 डिग्री आती है। स्वयं फिरोज अपना-  
 अपना बहन करे।  
 निर्वाह सर्वे इजलाल सुजाया  
 आया। पञ्जाबली फैसल शुमार होकर  
 निर्वाह सर्वे कम है।



उपखण्ड अधिकारी  
 मांडल जिला भीलवाड़ा

सेवामे,

श्रीमान सहाय  
 न्या

- 1- श्रीमति ली  
निवासी
- 2- श्री श्य  
निवासी
- 3- श्री वि  
निवा
- 4- श्री  
निवा
- 5-

6-